न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
35 / 2024	07 / 06 / 2024	19 / 05 / 2025

तिलेश कुमार पुत्र पुरुषोतम जाति महाजन निवासी गणेशपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. गणपति नगर, बून्दी रोड कोटा गिरधरपुरा कोटा राज.

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.
निर्णय–19/5/25

यह कि वादी के पक्ष मे दिनांक 20.1.1988 को ग्राम गणेशपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. की कृषि भूमि खसरा नम्बर 386 की 5.00 हैक्टर पूर्वी दिशा की रजिस्टर्ड वसीयत कान्हीबाई पत्नी चन्दालाल जाति महाजन निवासी गणेशपुरा तहसील पीपल्दा ने अपने खाते की कि थी जिस वसीयत से इंतकाल नम्बर 82 दिनांक 10.9.1991 से ख.न. 386 की 6.56 हैक्टर मे से 5.00 हैक्टर प्रार्थी तिलेश कुमार पुत्र पुरुषोतम जाति महाजन निवासी गणेशपुरा के नाम दर्ज हुई जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2045 से 48 में अंकित है। यह कि आगामी चौसाला जमाबंदी वर्ष 2049 से 52 मे वादी का नाम तिलेश कुमार के स्थान पर लिपिकिए गलती के कारण हिलेश कुमार अंकित कर दिया जो गलत है जबकि वादी का नाम तिलेश कुमार ही जमाबंदी मे दर्ज करना चाहिये था। उसके बाद डिजिटल जमाबंदी बनने पर कम्प्यूटर टाईपिंग की गलती के कारण हिलेश कुमार के स्थान पर हिलिस कुमार वादी का नाम दर्ज कर दिया। इस प्रकार वादी का नाम तिलेश कुमार के स्थान पर लगातार प्रतिवादी अशुद्ध रूप सें आगामी जमाबंदीयो में गलत लिखता रहा।

यह कि उपरोक्त आराजी में केचमेंट हुआ तो ख0नं0 386 रकबा 5.00है0 के स्थान पर नये खसरा नं0 941 रकबा 4.65है0 पैमूद किये गये जिसका फर्द इख्तलाफ सलंग्न है।
अतः– वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की सादर डिक्री फरमाई जावे कि ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का लुहावद की खाता संख्या 263 खसरा नम्बर 941 की 4.65 हैक्टर विवादित भूमि पर हिलिस कुमार पुत्र पुरुषोतम जाति महाजन के स्थान पर तिलेश कुमार पुत्र पुरुषोतम जाति महाजन निवासी गणेशपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा को बतोर खातेदार घोषित करते हुये नाम जमाबंदी में दर्ज किया जावे तदुनुसार राजस्व रिकोर्ड में इसका अमल दरामद किया जावे।

वादी की ओर से वाद श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का आवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन मनन किया गया। मनन के उपरान्त जमाबन्दी दिनांक 20.1.1988 को ग्राम गणेशपुरा तहसील

Ramniwas
सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

पीपल्दा जिला कोटा राज. की कृषि भूमि खसरा नम्बर 386 की 5.00 हैक्टर पूर्वी दिशा की रजिस्टर्ड वसीयत कान्हीबाई पत्नी चन्दालाल जाति महाजन निवासी गणेशपुरा तहसील पीपल्दा ने अपने खाते की कि थी जिस वसीयत से इंतकाल नम्बर 82 दिनांक 10.9.1991 से ख.न. 386 की 6.56 हैक्टर मे से 5.00 हैक्टर प्रार्थी तिलेश कुमार पुत्र पुरुषोतम जाति महाजन निवासी गणेशपुरा के नाम दर्ज हुई जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2045 से 48 से अंकित है। आगामी चौसाला जमाबंदी वर्ष 2049 से 52 मे वादी का नाम तिलेश कुमार के स्थान पर लिपिकिए गलती के कारण हिलेश कुमार अंकित कर दिया सम्वत 2049–52 ग्राम गणेशपुरा पटवार हलका लुहावद में वादी का नाम हिलेश कुमार पुत्र पुरूषोत्तम दर्ज हुआ। उपरोक्त आराजी में केचमेन्ट हुआ तो ख0नं0 386 रकबा 5.00है0 के स्थान पर नये ख0नं0 941 रकबा 4.65है0 पैमुद किए गए। ग्राम गणेशपुरा की जमाबन्दी संवत 2057–60 से जमाबन्दी संवत 2073–76 तक वादी का नाम हिलिसकुमार दर्ज है। प्रशासन गांव के संग कैम्प में दिनांक 16.06.2023 को इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र दिया पटवारी हलका व कानूनगो साहब ने रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी हिलिस कुमार नि0 गणेशपुरा का ग्राम गणेशपुरा की जमाबन्दी संवत 2073–76 में नाम के स्थान पर सम्मानजनक नाम तिलेश गुप्ता जांच की गई जो सही है। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी के उजरात सही प्रतीत होते हैं दावा वादी स्वीकार किया जाता है।

<u>कियात्मक आदेश</u>

अतः दावा वादी स्वीकार कर प्रतिवादी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम गणेशपुरा पटवार हलका लुहावद तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की कृषि आराजी खाता सं0 263 की खसरा नं0 941 रकबा 4.65 है0 भूमि पर हिलिस कुमार पुत्र पुरूषोत्तम जाति महाजन के स्थान पर तिलेश कुमार पुत्र पुरूषोत्तम जाति महाजन नि0 गणेशुपरा तह0 पीपल्दा कोटा दर्ज किया जावे तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर
इटावा जि0 कोटा (राज0)
फास्ट–ट्रेक इटावा

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
35 / 2024	07 / 06 / 2024	19 / 05 / 2025

तिलेश कुमार पुत्र पुरूषोतम जाति महाजन निवासी गणेशपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. गणपति नगर, बून्दी रोड कोटा गिरधरपुरा कोटा राज.

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

निर्णय–19/05/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री मनोज शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................ मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम गणेशपुरा पटवार हलका लुहावद तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० की कृषि आराजी खाता सं० 263 की खसरा नं० 941 रकबा 4.65 है० भूमि पर हिलिस कुमार पुत्र पुरूषोत्तम जाति महाजन के स्थान पर तिलेश कुमार पुत्र पुरूषोत्तम जाति महाजन नि० गणेशुपरा तह० पीपल्दा कोटा दर्ज किया जावे तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिकी जारी की जाती है।

डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 19/5/25 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत०			मुत०		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) इटावा (कोटा)